


फेमा और पीएमएलए

प्रवरतन नदिशालय (ED) ने वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 के 4,913 मामलों की तुलना में वर्ष 2019-20 और वर्ष 2021-22 के बीच वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम/फेमा (FEMA) और PMLA के तहत 14,143 मामले दर्ज किये हैं।

- वर्ष 2021-22 में सबसे अधिक धनशोधन और वदिशी मुद्रा उल्लंघन के मामले देखे गए।



वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999:

- भारत में वदिशी मुद्रा लेन-देन के प्रशासन के लिये कानूनी ढाँचा वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 द्वारा प्रदान किया गया है।
- FEMA जो कि 1 जून, 2000 से प्रभावी हुआ, के तहत वदिशी मुद्रा से जुड़े सभी लेन-देन को पूँजी या चालू खाता लेन-देन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - चालू खाता लेन-देन :
 - नवासी द्वारा किये गए सभी लेन-देन जिनके कारण उसकी संपत्तिया देनदारियों (भारत के बाहर आकस्मिक देनदारियों सहित) में कोई परिवर्तन न हो, को चालू खाता लेन-देन के अंतर्गत रखा जाता है।
 - उदाहरणार्थ- वदिशी व्यापार के संबंध में भुगतान, वदिश यात्रा, शक्ति आदिके संबंध में व्यय।
 - पूँजी खाता लेन-देन:
 - इसमें वे लेन-देन शामिल हैं जो भारत के नवासी द्वारा किये जाते हैं जिससे भारत के बाहर उसकी परसंपत्तिया देनदारियाँ बदल जाती हैं (या तो बढ़ जाती है या घट जाती है)।
 - उदाहरण: वदिशी प्रतभित्तियों में नविश, भारत के बाहर अचल संपत्तिका अधग्रहण आदि।
- नवासी भारतीय:
 - 'भारत में नवासी व्यक्ति' को FEMA, 1999 की धारा 2(v) में परिभाषित किया गया है:
 - कुछ अपवादों को छोड़कर पछिले वत्तीय वर्ष के दौरान 182 दिनों से अधिक समय तक भारत में रहने वाला व्यक्ति।
 - भारत में पंजीकृत या नगिमति कोई भी व्यक्ति या नकिया, कॉर्पोरेट।
 - भारत में कार्यालय, शाखा या एजेंसी जो भारत के बाहर नवासी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में है।
 - भारत के बाहर एक कार्यालय, शाखा या एजेंसी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण भारत के नवासी के पास है

धनशोधन नविवरण अधिनियम, 2002:

- यह धनशोधन से नपिटने के लिये भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढाँचे का मूल तत्त्व है।
- इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (RBI सहित), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।
- **PMLA (संशोधन) अधिनियम, 2012:**
 - इसमें 'रिपोर्टिंग इकाई' की अवधारणा शामिल है जिसमें एक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, मध्यस्थ आदि शामिल होंगे।
 - PMLA, 2002 में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान था, लेकिन संशोधन अधिनियम में इस ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है।
 - इसमें गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की अस्थायी कुरकी और ज़बती का प्रावधान किया गया है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे योगदान करती हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर धनशोधन की समस्या से नपिटने के लिये वसितृत उपायों पर चर्चा कीजिये। (2021, मुख्य परीक्षा)

प्रश्न. दुनिया के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक राज्यों के साथ भारत की नकिटता ने उसकी आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों जैसे- बंदूक रखना, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिये। इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये? (2018, मुख्य परीक्षा)

प्रश्न. भारत की वदिशी मुद्रा आरक्षति नधिमें नमिनलखिति में से कौन-सा एक मद समूह सम्मलिति है? (2013)

- वदिशी मुद्रा संपत्ति, वशिष आहरण अधिकार और वदिशों से ऋण
- वदिशी मुद्रा संपत्ति, भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा धारति स्वरण और वशिष आहरण अधिकार
- वदिशी मुद्रा संपत्ति, वशिष बैंक से ऋण और वशिष आहरण अधिकार
- वदिशी मुद्रा संपत्ति, भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा धारति स्वरण और वशिष बैंक से ऋण

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- वदिशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा वदिशी मुद्रा में आरक्षति संपत्ति से होता है, जिसमें बॉण्ड, ट्रेज़री बलि और अन्य सरकारी परतभूतियाँ शामिल होती हैं।
 - गौरतलब है कि अधिकांश वदिशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में आरक्षति किये जाते हैं।
- **भारत के वदिशी मुद्रा भंडार में नमिनलखिति को शामिल किये जाता है:**
 - वदिशी मुद्रा परसंपत्तियाँ
 - स्वरण भंडार
 - वशिष आहरण अधिकार (SDR)
 - **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** के पास रज़िर्व ट्रेंच

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस